

# Order Sheet [Contd]

Case No 73/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
15.02.2017	<p>आवेदक वेदराम की ओर से श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड से अप0क0 233/2016 धारा 353, 332, 294, 506, 427, 147, 149 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश।</p> <p>आवेदक वेदराम की ओर से अधि. श्री जी0एस0गुर्जर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता है, यदि उसे पुलिस द्वारा उक्त झूठे अपराध में गिरफ्तार किया गया तो छवि धूमिल हो जावेगी। प्रकरण में सहआरोपी अवनीश उर्फ बल्लू की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। वर्तमान आवेदक पर लगाए आरोप सहआरोपी के समान है। आवेदक अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः समानता के आधार पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। पुलिस थाना गोहद के रा फरियादी शिवस्वरूप श्रीवास्तव जो कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि. कम्पनी में लिपिक के पद पर पदस्थ है। वर्तमान आवेदक वेदराम व उसके अन्य सहयोगी के आने और उसकी मारपीट करना एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिस पर से थाना गोहद में धारा 353, 332, 294, 506, 427, 147, 149 का पंजीबद्ध किया गया है।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आवेदक का कोई</p>	

आपराधिक रिकार्ड नहीं है वह सामाजिक कार्यकर्ता है एवं यह भी व्यक्त किया कि सहआरोपी अवनीश की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से एम.पी.सी.आर.सी. क्रमांक 13220/16 में अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया है। सहआरोपी का आरोप आवेदक से भिन्न नहीं है। अतः समानता के आधार पर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादी जो कि विद्युत विभाग का शासकीय कर्मचारी है और अपनी कार्यालय में कार्य कर रहा था, उसी समय वर्तमान आवेदक सहित अन्य आरोपियों के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उसे गाली गलोज कर मारपीट कर शासकीय कार्य में बांधा डालने का आक्षेप है। वर्तमान आवेदक पर स्पष्ट रूप से यह भी आक्षेप है कि उसके द्वारा फरियादी को कंधे पर दाँतों से काटा गया है। इस संबंध में मेडीकल रिपोर्ट में भी आहत के शरीर पर दाँत की चोटें आने का स्पष्ट उल्लेख आया है। जहाँ तक सहआरोपी के अग्रिम जमानत पर छोड़े का प्रश्न है। वर्तमान आरोपी जिस पर कि स्पष्ट रूप से फरियादी को दाँत से काटने का आक्षेप है एवं उसके द्वारा शासकीय सेवक को उस समय जब वह शासकीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था उस समय अन्य आरोपीगण के साथ विधि विरुद्ध का जमाव कर मारपीट की गई है। इस प्रकार उक्त आरोपी पर लगाया गया आक्षेप जिसकी कि पुष्टि चिकित्सीय प्रमाण से भी हुई है। उक्त आवेदक का कृत्य सहआरोपी के समान होना नहीं कहा जा सकता है। वह समानता के आधार पर अग्रिम जमानत की पात्रता नहीं रखता है।

विचारोपरांत उपरोक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी0सी0थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद